

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 594 of 2024

NEWS ITEM TITLED "LUCKNOW ME PAANEE CHALA RASATAL 10 SAAL
ME 160 FOOT NEECHE CHALA GAYA JALSTAR MEL RAHE KHATARNAK
SANKET" APPEARING IN NAVBHARATTIMES.INDIATIMES.COM DATED
13.04.2024

Appellant

Versus


Uttar Pradesh Pollution Control Board and Ors.

Respondents

I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Written reply on behalf of the Respondent No.4/ Lucknow Development Authority	1-5
2.	Annexure A-1 True copy of the Authorization letter	6
3.	Annexure A-2 A copy of provision	7-8
4.	Annexure A-3 Copy of the 178 minutes of meeting dated 05.08.2023	9-13
5.	Annexure A-4 A copy of the proposal dated 04.09.2024	14-28
6.	Annexure A-5 A copy of list of implement rainwater Harvesting system in Lucknow	29-34

Filed by



[MUKESH VERMA]

Advocate for the applicant

Ch. No. 50, Old Block

Supreme Court of India,

New Delhi 110 001

(M) 9810108098

E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi

Dated: 25.10.2024

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 594 of 2024**

IN THE MATTER OF:

News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जलस्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13.04.2024

Versus

**Uttar Pradesh Pollution
Control Board & Ors.**



**WRITTEN REPLY ON BEHALF OF THE
RESPONDENT NO.4/ LUCKNOW DEVELOPMENT
AUTHORITY**



MOST RESPECTFULLY SHOWETH:-

I, Sanjeev Kumar, Excutive Engineer, Lucknow Development Authority authorized representative, hereby submit this written reply on behalf of Respondent No. 4. I have been duly authorized vide Authorization Letter (Ref. No. 600/Secretary/EE-7/24) dated October

18, 2024, hereby solemnly affirm and declare as under:

Sign: 
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regn. 22366 Govt. of India

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

True copy of the Authrization Letter is **Annexure 1.**

1. That in an official capacity I am well conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear the present written submission / reply on behalf of the Lucknow Development Authority.
2. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 04.09.2024 took suo moto cognizance on the basis of news item published in navbharattimes.indiatimes.com dated 13.04.2024 on the issue of ground water depletion in Lucknow, U.P.

That according to the Development Authority Building By-Laws 2008 (amended in 2011 / 2016), Para 3.11.5 states that rainwater harvesting is mandatory for plots area of 300 square meters or more in all kinds use of land, excluding waterlogged areas.

A copy of this provision is attached as **Annexure 2.**

4. That in the 178th meeting of the Lucknow Development Authority Board on 05.08.2023, several provisions were established to ensure compliance with the Development Authority Building By-Laws

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME



Sign 
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regn. 22366 Govt. of India

2008 (amended in 2011 / 2016), Para 3.11.5. and the following sureties for rain water harvesting are required:

Sr. No.	Area of land	Sureties (In Rs.)
1.	Upto 200-500 sq. mt	Rs.20,000/-
2.	Upto 500-1000 sq. mt	Rs.50,000/-
3.	Upto 1000-5000 sq. mt	Rs.1,00,000/-
4.	More than 5000	Rs.2,00,000/-

Copy of the 178 minutes of meeting dated 05.08.2023 is annexed as **Annexure 3.**

That for pollution free and reconstruction of Kukrail River, U.P. Irrigation Department issued a proposal to Nagar Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow vide letter dated 04.09.2024.

A copy of the proposal dated 04.09.2024 is annexed as **Annexure 4.**

6. That the State Government for pollution free and reconstitution of Kukrail River removed illegal encroachment of slum area Bhikampur, Akbar Nagar – I and Akbar Nagar – II for an area admeasuring 35 acres approximatly of land.

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

[Handwritten signature]


Sig. *[Handwritten signature]* 21/10/24
VIJAY KUMAR DWIVEDY
Advocate & Notary
Regn. 22366 Govt. of India

7. That as of the present, the Lucknow Development Authority has successfully developed and implemented rainwater harvesting systems across a total area of 534,247 square meters. This includes various government buildings, offices, private and commercial establishments, group housing projects, parks, and the redevelopment of water bodies covering an area of 141,359.16 square meters.

A copy of the list of the implemented rainwater harvesting systems in Lucknow is attached as **Annexure 5**.

8. That the Lucknow Development Authority is doing its level best to maintain the ground water level in Lucknow, U.P.

That the annexures annexed with the reply are true and correct copies of their respective originals.



SWORN & VERIFIED
BEFORE ME


Deponent

Verification:

Verified at Lucknow, on this 21st day of October, 2024 that the contents of the above written submissions / reply are true and correct to



Sign. 
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regn. 22366 Govt. of India

the best of my knowledge and belief and nothing is false and no material has been concealed therefrom.


Deponent



**SWORN & VERIFIED
BEFORE ME**
Sign: 
Date: 21/10/24
VIJAY KUMAR DWIVEDI
Advocate & Notary
Regn. 22366 Govt. of India

I identify the deponent/Executant/Survey who has signed/put T.I. before me.

199



ANX-1

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ


नवीन प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक : 600/Secretary/EE-7/24

दिनांक: 18/10/24

To Whom it May Concern


Mr. Sanjeev Kumar, Executive Engineer here by authorised to represent and to file written statement or Affidavits in the matter of O.A No-594/2024 on behalf of Lucknow Development Authority before The Hon'ble NGT, New Delhi.


(Vivek Srivastava)
Secretary



ANN-2

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (यथासंशोधित 2011/2016)



लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष: 0522-2303623, 2303624, 2303133 वेबसाइट www.ldalucknow.co.in

		(II)	चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो, की अनुज्ञा के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3.11.4	इलेक्ट्रिक लाइन से दूरी		इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुज्ञा हेतु न्यूनतम दूरी:-
		(I)	लो एण्ड मीडिएम वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाइन पर उर्ध्वाधर 2.5 मीटर तथा क्षैतिज 1.2 मीटर होने पर दी जाएगी।
		(II)	हाई वोल्टेज लाइन्स यथा 33,000 वोल्टेज होने पर उर्ध्वाधर 3.7 मीटर तथा क्षैतिज 2.0 मीटर होने पर दी जाएगी।
		(III)	33,000 वोल्टेज से ऊपर अतिरिक्त हाई वोल्टेज लाइन से उर्ध्वाधर 3.7 मीटर के प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज या उसके भाग के लिए 0.3 मीटर तथा क्षैतिज से 2.0 मीटर के प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज या उसके भाग के लिए 0.3 मीटर अनुमन्य होगी।
3.11.5	रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षाएं		जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 300 वर्गमीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के उपर संग्रहण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।
3.11.6	सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र हेतु अपेक्षाएं		निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना अनुलग्नक-3 की अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी:-
		(I)	अस्पताल तथा नर्सिंग होम,
		(II)	होटल,
		(III)	अतिथि गृह,
		(IV)	विश्राम गृह,
		(V)	छात्रावास,
		(VI)	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/प्राविधिक संस्थाएं/प्रशिक्षण केन्द्र,
		(VII)	सशस्त्र बल/अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक,
		(VIII)	सामुदायिक केन्द्र, बैंकवेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के अन्य भवन,
		(IX)	500 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन।
3.11.7	शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अपेक्षाएं		समस्त जनोपयोगी भवनों तथा सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु अवरोधमुक्त परिसर के सृजन के लिए अध्याय-11 में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार प्राविधान सुनिश्चित किए जाएंगे।





लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक दिनांक
05 अगस्त, 2023 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डा0 रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

- | | |
|-----------------------------|---|
| 01. डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 02. सुश्री अंजू सिंह संत | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ, प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 03. श्री राकेश कुमार | अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), प्रतिनिधि-जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 04. श्री ललित कुमार | अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 05. श्री के0पी0 त्रिपाठी | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद। |
| 06. श्रीमती रेखा श्रीवास्तव | सहायक आयुक्त, प्रतिनिधि-संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 07. डा0 कल्याण सिंह | उपनिदेशक-पर्यटन प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ। |
| 08. श्री विशाल भारती | सहयुक्त नियोजक प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग। |
| 09. श्री पीयूष मौर्या | अधिशाली अभियन्ता, जल निगम, प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ। |
| 10. श्री पुष्कर शुक्ला | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 11. श्री पी0एन0 सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

अन्य उपस्थिति:-

- | | |
|----------------------------|---|
| 12. श्री पवन कुमार गंगवार | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 13. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 14. श्री दीपक सिंह | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 15. श्री ए0के0 सिंह | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 16. श्री के0के0 गौतम | मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 17. सुश्री प्रिया सिंह | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 18. श्री शशिभूषण पाठक | डिप्टी कलेक्टर, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 19. श्री देवांश त्रिवेदी | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 20. श्री माधवेश कुमार | उपसचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 21. श्री बलराम | अनुसचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं0	विषय	निर्णय
178/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 177वीं बैठक दिनांक 31.05.2023 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
178/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 177वीं बैठक दिनांक 31.05.2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

जगतम

		<p>2. प्रस्तावित स्थल प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अथवा विकसित कालोनी के पहुंच मार्ग पर स्थित होना चाहिए। प्रस्तावित स्थल एन0एच0ए0आई0, एन0एच0, एस0एच0, एम0डी0आर0, ओ0डी0आर0 अथवा अन्य ग्रामीण मार्ग पर स्थित होना चाहिए।</p> <p>3. विद्यमान मार्ग किसी शासकीय/अर्धशासकीय/स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित, विकसित/अनुरक्षित होना चाहिए। मार्ग अनुरक्षित करने वाले शासकीय विभाग द्वारा इसके निर्माण एवं मार्ग की चौड़ाई की अभिलेखानुसार पुष्टि/अनापत्ति प्रदान करने पर उसी के अनुरूप ही मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।</p> <p>4. मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त यदि भविष्य में किसी शासकीय विभाग को मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर आवेदक द्वारा नियमानुसार मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>उपरोक्तानुसार प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया जाता है कि इसे उ0प्र0 शासन के संज्ञानार्थ प्रेषित किया जाय।</p>
178/6	सोलर एनर्जी संयंत्र हेतु टॉप रूफ फ्लोर पर सोलर पैनल लगाये जाने, वृक्षारोपण एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>विभिन्न श्रेणी के मानचित्र स्वीकृत किये जाने के समय सोलर एनर्जी संयंत्र हेतु टॉप रूफ पर सोलर लगाये जाने, वृक्षारोपण एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग के संशोधित प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिभूति राशि लिये जाने के सन्दर्भ में प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्व सम्मति से सहमति व्यक्त की गई एवं निर्देश दिये गये कि सोलर पैनल की स्थापना में किलोवाट की बाध्यता नहीं होगी एवं बिजली विभाग के नियमों के अनुसार सोलर पैनल स्थापित किये जायेंगे। इसके साथ ही साथ ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों पर 5 प्रतिशत खुले स्थल में मियावाकी पद्धति के स्थान पर संघन वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्रभावी भवन उपविधि में जिन भूखण्डों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल लगाये जाने की अनिवार्यता पूर्व से प्रभावी है उन भूखण्डों पर मानकों के अनुरूप प्राप्त होने वाले मानचित्रों पर प्रस्तावनानुसार प्रतिभूति धनराशि प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत/शमनित किये जाये तथा जिन भूखण्डों के किये लिये अनिवार्यता नहीं है, उनकी स्वीकृति तथा भवन उपविधि में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।</p>
178/7	आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-785/आठ-3-2023 दिनांक 10.04.2023 के अनुसार उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2021 (यथा-संशोधित) कतिपय प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-785/आठ-3-2023 दिनांक 10.04.2023 के अनुसार उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2021 (यथा-संशोधित) कतिपय प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया।</p>



पंजाब

	ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई ग्राम-सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, दाउद नगर, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़ नगर टिकरिया व रकीबाबाद की क्षेत्रफल 1232.2866 एकड़ भूमि पर आई0टी0 सिटी एवं महायोजना 2031 के अन्तर्गत आने वाले किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक सुनियोजित विकास हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जन, लैण्ड पूलिंग व आपसी सहमति से भूमि क्रय किये जाने विषयक।	परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया व रकीबाबाद की क्षेत्रफल 1232.2866 एकड़ भूमि पर आई0टी0 सिटी एवं महायोजना 2031 के अन्तर्गत आने वाले किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक सुनियोजित विकास हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जन, लैण्ड पूलिंग व आपसी सहमति से भूमि क्रय किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं निर्देश दिये गये कि इसे शासन को अनुमोदन हेतु संदर्भित किया जाय।
178/28	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अपार्टमेन्ट्स जिनका अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, के आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क वसूली के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा निर्मित बहुमंजिले गुप हाउसिंग भवनों में प्रत्येक आवंटी से सुपर एरिया पर अनुरक्षण शुल्क 15 रुपये प्रति वर्गमी0 वसूली किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रश्नगत दरें प्रति वर्ष 01 अप्रैल को 10 प्रतिशत के आधार पर पुनरीक्षित की जायेंगी।
178/29	प्राधिकरण की जो सम्पत्तियाँ निस्तारण/नीलामी हेतु निर्धारित आरक्षण के अनुसार तीन या उससे अधिक बार विज्ञापन किये जाने के पश्चात विक्रय/निस्तारित नहीं हो सकी है, उन सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत विज्ञापन कर ई-नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त जिन आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों की नीलामी/निस्तारण हेतु 03 या उससे अधिक बार विज्ञापन किया गया है एवं निस्तारण नहीं हो सका है, उन सम्पत्तियों को सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।



(पवन कुमार गंगवार)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष, 5.8.23
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

अनुमोदित

(डा0 रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय सं०- 06

पृष्ठ सं०- 46

विषय-सोलर एनर्जी संयन्त्र हेतु टॉप रूफ फ्लोर पर सोलर पैनल लगाये जाने, वृक्षारोपण एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधान सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

विभिन्न श्रेणी के मानचित्र स्वीकृत किये जाने के समय सोलर एनर्जी संयन्त्र हेतु टॉप रूफ फ्लोर पर सोलर पैनल लगाये जाने, वृक्षारोपण एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार प्रतिभूति राशि लिये जाने सहित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन किये जाने के संबंध में निम्न प्रस्ताव है-

(क) सोलर एनर्जी संयन्त्र

प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011/2016) में सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र स्थापना के प्राविधान है। परन्तु सोलर एनर्जी से विद्युत उत्पादन हेतु संयन्त्र स्थापित करने के प्राविधान नहीं है। उक्त संयन्त्रों की स्थापना से पर्यावरण पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011/2016) के प्रस्तर 3.11.6 एवं अनुलग्नक-3 की अपेक्षाओं के अनुसार सोलर एनर्जी संयन्त्र हेतु टॉप रूफ फ्लोर पर सोलर पैनल लगाये जाने की अनिवार्यता के साथ-साथ 200 वर्गमी० एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवनों में भी उक्त की स्थापना अनिवार्य किया जाना व्यापक जनहित में होगा। इसकी स्थापना सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त श्रेणी के 200 वर्गमी० से अधिक एवं 500 वर्गमी० भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू० 20,000/-, 500 वर्गमी० से अधिक एवं 1000 वर्गमी० भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू० 50,000/-, 1000 वर्गमी० से अधिक एवं 5000 वर्गमी० भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू० 1,00,000/- एवं 5000 वर्गमी० से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू० 2,00,000/- प्रतिभूति राशि के रूप में मानचित्र स्वीकृति के समय जमा कराया जाना उचित होगा। उक्त धनराशि सोलर एनर्जी संयन्त्र स्थापना एवं क्रियाशील होने के पश्चात अवमुक्त की जा सकेगी।

वृक्षारोपण

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर-3.1.2.2 (xi) के प्राविधान को पर्यावरण के अनुकूल वातावरण बनाने हेतु अनिवार्य रूप से लागू किये जाने के उद्देश्य से निम्न संशोधन प्रस्तावित है-

आवासीय भूखण्डों में

- 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर दो पेड़। प्रतिभूति राशि रू० 5000/-
- 200 से 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर तीन पेड़। प्रतिभूति राशि रू० 10,000/-
- 301 से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर पांच पेड़। प्रतिभूति राशि रू० 15,000/-
- 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड में प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल या इसके भाग पर दो पेड़। प्रतिभूति राशि रू० 25,000/-

३५:

के.के. गांधी

मुख्य निरीक्षक

सर्वेक्षण विभाग

राज्य सरकार

के.के. गांधी

प्रभारी मुख्य सपर निरीक्षक/अपर सपर

सर्वेक्षण विभाग

राज्य सरकार

47

(v) समूह आवासीय योजना (ग्रुप हाउसिंग) एवं समस्त श्रेणी के तलपट मानचित्रों में प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ एवं 5 प्रतिशत खुले स्थल में मियावाकी पद्धति से वृक्षा रोपण। प्रतिभूति राशि रू0 1,00,000/-

(vi) प्रतिभूति राशि कार्य पूर्ण होने पर अवमुक्त की जा सकेगी।

औद्योगिक भूखण्डों में

प्रति 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर दो पेड़। प्रतिभूति राशि रू0 1,00,000/- जो पेड़ लगाने के पश्चात अवमुक्त की जा सकेगी।

व्यवसायिक भूखण्डों में

प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर दो पेड़। प्रतिभूति राशि रू0 1,00,000/- जो पेड़ लगाने के पश्चात अवमुक्त की जा सकेगी।

संस्थागत/सामुदायिक सुविधाएं, क्रीडा स्थल, खुले क्षेत्र एवं पार्क

कुल क्षेत्रफल के न्यूनतम 20% भाग पर ग्रीनरी होगी जहाँ प्रति हेक्टेयर 250 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाएंगे। प्रतिभूति राशि रू0 2,00,000/- जो पेड़ लगाने के पश्चात अवमुक्त की जा सकेगी।

उपरोक्त समस्त उपयोगों में 10 से अधिक पेड़ लगाने की दशा में कुल संख्या के 50 प्रतिशत पेड़ छायादार एवं फलदायक लगाये जाने अनिवार्य होंगे।

(ग) रेनवाटर हार्वेस्टिंग

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011/2016) के प्रस्तर 3.11.5 के अनुसार जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 300 वर्गमी0 एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में रेनवाटर हार्वेस्टिंग किये जाने का प्राविधान है। उक्त प्राविधान में संशोधन करते हुए 200 वर्गमी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना अनिवार्य किया जाना व्यापक जनहित में होगा। इसकी स्थापना सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त श्रेणी के 200 वर्गमी0 से अधिक एवं 500 वर्गमी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू0 20,000/-, 500 वर्गमी0 से अधिक एवं 1000 वर्गमी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू0 50,000/-, 1000 वर्गमी0 से अधिक एवं 5000 वर्गमी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू0 1,00,000/- एवं 5000 वर्गमी0 से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू0 2,00,000/- प्रतिभूति राशि के रूप में मानचित्र स्वीकृति के समय जमा कराया जाना उचित होगा। उक्त धनराशि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना एवं क्रियाशील होने के पश्चात अवमुक्त की जा सकेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सोलर एनर्जी संयन्त्र हेतु टॉप रूफ फ्लोर पर सोलर पैनल लगाये जाने, वृक्षारोपण एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग के संशोधित प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिभूति राशि लिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

ख

५



प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर,
लखनऊ।

प्रेषित,

नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

पत्रांक-3327/लखशान/डी0एस0/कुकरैल

दिनांक: 04/09/2024

विषय: कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त एवं पुर्नजीवित करने तथा उक्त क्षेत्र में विकास कार्य हेतु कुकरैल नदी के किमी0 0.000 से किमी0 28.000 तक पुरोद्धार कार्य की परियोजना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कुकरैल नदी को पुर्नजीवित करने एवं प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से उक्त क्षेत्र में विकास कार्य हेतु गन्दे नालों को कुकरैल नदी में प्रवाहित होने से रोकने, नदी तट के सौन्दर्यीकरण, साइट डेवलपमेन्ट एवं ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए दिनांक-29.05.2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया और बैठक में निर्णय लिया गया कि-


- ❖ कुकरैल नदी के पुनरोद्धार के सम्बन्ध में किये गये प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार इस क्षेत्र का विकास कराया जाये।
- ❖ इस कार्य के लिए नगर विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा तथा प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग नोडल अधिकारी रहेंगे।
- ❖ सभी सम्बन्धित संस्थाओं एवं विभागों से उनकी अनापत्तियां व सहमतियां प्राप्त कर ली जाये तथा सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

कुकरैल रिवर Revitalization एण्ड वाटर फ्रंट डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट को लेकर सिंचाई विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर विकास, जल निगम, नगर निगम, वन पर्यावरण आदि विभाग के अधिकारियों द्वारा अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये।

कुकरैल नदी के उद्गम स्थल से लेकर गोमती नदी में मिलने तक के नदी के कैचमेन्ट एरिया का सम्बन्धित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर विस्तृत Inspection किया जाये।

जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर कुकरैल नदी के कैचमेन्ट एरिया में विकसित अबादी एवं स्लम का विस्तृत सर्वे कराया जाए एवं उनमें निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान रखा जाए।

- ❖ कुकरैल नदी के कैचमेन्ट एरिया में डोर-टू-डोर सर्वे कर निवासियों को पूर्व में आवंटित आवासों (यदि आवंटन किया गया है) की स्थिति इंगित की जाये।
- ❖ उक्त क्षेत्र में चल रही Unauthorized activities एवं आवच्छित तत्वों को चिन्हित कर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ❖ कुकरैल नदी के कैचमेन्ट एरिया की सिंचाई विभाग व अन्य विभाग की जमीन पर हुए अवैध कब्जे के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों एवं अधिकारियों को चिन्हित किया जाए एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ❖ कुकरैल नदी के कैचमेन्ट एरिया में निवास करने वाले लोगों के पुर्नवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय) के In-Situ Slum Redevelopment परियोजना के अन्तर्गत एक समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- ❖ सिंचाई विभाग द्वारा कुकरैल नदी के कैचमेन्ट एरिया में तत्काल Desludging/Desilting की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ❖ नगर निगम लखनऊ द्वारा कुकरैल क्षेत्र में सघन सफाई अभियान चलाते हुए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।


04/09/2024



- ❖ कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं पुर्नजीवित करने हेतु किये जाने वाले कार्यों की मासिक समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए, जिसमें लोक निर्माण विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी सम्मिलित हों।
- ❖ उक्त कार्यों की सप्ताहिक समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति गठित की जाए।

इस क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्र में कुकरैल नदी के पुर्नजीवित एवं पुनरोद्धार हेतु नदी के दोनों तटबन्धों के बीच स्थित स्लम एरिया भीकमपुर, अकबरनगर-1 एवं अकबरनगर-2 एवं रहीमनगर में निवास करने वाले लोगों को पात्रतानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय) के अन्तर्गत पुर्नवासित करते हुए अवैध निर्माण का अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया और स्लम एरिया के मलबे को हटाकर सफाई कराकर वृक्षारोपण कराते हुए नदी तट का विकास किया जा रहा है।

मण्डलायुक्त महोदया, की अध्यक्षता में आहूत विभिन्न बैठकों में निर्देशित किया गया कि शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग के अधीन परियोजना का गठन कार्यदायी संस्था के रूप में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाए, वन क्षेत्र में परियोजना का गठन वन विभाग द्वारा किया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना का गठन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाए।

अतः उपरोक्तानुसार कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं पुर्नजीवित करने तथा उक्त क्षेत्र में विकास कार्य हेतु कुकरैल नदी के पुनरोद्धार की परियोजना कुकरैल नदी के किमी० 0.000 से किमी० 28.000 तक डी०पी०आर० तैयार की गई है। इस डी०पी०आर० में मुख्यतः तीन भाग कमशः 01- शहरी क्षेत्र (किमी० 0.000 से किमी० 4.700 तक लागत रू० 574.50 लाख, किमी० 4.700 से 6.300 तक लागत रू० 243.13 लाख, किमी० 15.000 से 16.500 तक लागत रू० 138.83 लाख), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई है एवं हस्ताक्षरित है। 02-वन क्षेत्र (किमी० 6.300 से 15.000 तक किमी० 16.500 से 23.900 तक की लागत रू० 1775.46 लाख) वन विभाग द्वारा तैयार की गई है एवं हस्ताक्षरित है। 03-ग्रामीण क्षेत्र (किमी० 23.900 से 28.000 तक लागत रू० 119.14 लाख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई है एवं हस्ताक्षरित है तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक भूमि की लागत रू० 376.51 लाख एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्लम एरिया के अतिक्रमण हटाने की लागत रू० 95.96 लाख (पत्रांक-630/अ०अभि०(वि०/या०)/2024-25/दिनांक-08.08.2024) को सम्मिलित करते हुए संलग्न परियोजना लागत रू० 3323.53 लाख सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संकलित की गई है। उपरोक्तानुसार परियोजना को दो प्रति संलग्न कर सक्षम स्तर से अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

पत्रांक: 3927 / लखनऊ / डी०एस० / कुकरैल / तदिनोंक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(शारदा सहायक), गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग क्षेत्र, वन निगम, मुख्यालय, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
8. सहायक अभियन्ता(पंचम), लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ।

(मुकेश कुमार वैश्य)
अधीक्षक अभियन्ता
04/09/24
04/09/24


(मुकेश कुमार वैश्य)
अधीक्षक अभियन्ता
04/09/24
04/09/24

209

DEPARTMENT OF URBAN
DEVELOPMENT UTTAR PRADESH
LUCKNOW



नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश, सरकार



PROJECT OF RESTORATION OF KUKRAIL
RIVER FROM KM. 0.000 TO KM. 28.000

COST: 3323.53 LAC

YEAR 2024-25

प्रतिवेदन

कुकरैल नदी गोमती नदी की सहायक नदी है। कुकरैल नदी का उदगम जनपद लखनऊ बक्शी का तालाब तहसील के अस्ती गाँव के एक कुएँ से होता है, जो प्राचीन काल से सम्भवतः एक एक्विफर था। यह नदी लखनऊ शहर में गोमती बैराज के अपस्ट्रीम में ग्राम भीखमपुर में गोमती नदी में समाहित हो जाती है। कुकरैल नदी अस्ती गाँव से राजपुर, अचरामऊ, मल्लाक ग्रामों से प्रवाहित होते हुए किमी० 26.300 पर किसान पथ पार कर किमी० 23.900 तक ग्रामीण क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कुकरैल वेस्ट फारेस्ट में प्रवेश करती है। तत्पश्चात वन क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए किमी० 16.500 पर नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तथा मिश्रीपुर, वसहा, वरखुरदारपुर ग्रामों से प्रवाहित होते हुए किमी० 16.139 पर कुर्सी रोड पार किमी० 15.000 तक नगर क्षेत्र में प्रवाहित होकर पुनः कुकरैल ईस्ट फारेस्ट में प्रवेश करती है। कुकरैल ईस्ट फारेस्ट में ही किमी० 8.500 पर इस नदी पर एक बैराज निर्मित है। तत्पश्चात यह नदी किमी० 6.300 से ईस्ट फारेस्ट पार कर नगरीय क्षेत्र में कल्यानपुर पूर्वी एवं कल्यानपुर पश्चिमी से प्रवाहित होते हुए किमी० 4.700 पर रिंग रोड पार कर लखनऊ शहर में प्रवाहित होती हुई भीखमपुर ग्राम के पास गोमती नदी में समाहित हो जाती है।

कुकरैल नदी के उदगम स्थल अस्ती गाँव एवं गोमती नदी में समागम पर लगभग 19.50 मीटर का तलान्तर है जो कि सामान्य जल प्रवाह के लिए अत्यधिक तीव्र ढाल है जिसके कारण स्वभाविक रूप से भूमि के क्षरणोपरान्त नदी में अत्यधिक सिल्ट आने से समय के साथ नदी सिल्ट से पट गई है तथा विगत वर्षों में कभी भी नदी की सफाई नहीं की गयी, वर्तमान में नदी के अधिकांश भाग में अत्यधिक मात्रा में सिल्ट जमा है तथा जंगल झाड़ी उग गयी है और टेल भाग में नदी लुप्तप्राय हो गयी है।

कुकरैल नदी के उदगम स्थल एवं ऊपरी कैचमेन्ट एरिया में सौतल झील (लगभग 72 हे०) तथा अन्य बहुत सारे बड़े-बड़े तालाब एवं झीलें वर्तमान में भी विद्यमान हैं 1980-1990 दशक तक यह सभी झीलें एवं तालाब पानी से भरे हुए थे और भू-गर्भ जल परिपूर्ण होने से कैचमेन्ट एरिया के एक्वीफर क्रियाशील थे जैसा कि नदी के 28.00 किमी० लम्बाई में उदगम स्थल एवं समागम स्थल (गोमती नदी का बेड लेवल 100.00 मी०) के मध्य लगभग 19.50 मी० तलान्तर है, यह नदी भू-गर्भ जल से रिचार्ज होते हुए प्राकृतिक रूप से अपनी अविरलता बनाये रखने में सक्षम थी किन्तु कालान्तर में भू-गर्भ जल के अत्यधिक दोहन, झीलों, तालाबों एवं स्वयं नदी तथा अन्य जल स्रोतों में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाने से एवं सामान्य जन मानस के उदासीनता तथा अतिक्रमण करने के कारण इन जल स्रोतों एवं नदी का जीवन एवं आसित्व लगभग समाप्त हो गया।

कुकरैल नदी तथा इसके कैचमेन्ट में स्थित जल स्रोतों को पुर्नजीवित कर भू-गर्भ जल का स्तर सुधार करने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 29 मई 2023 को आयोजित बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा कुकरैल नदी को पुर्नजीवित करने एवं प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से गंदे नालों को कुकरैल नदी में प्रवाहित होने से रोकने, नदी तट के सौन्दर्यीकरण, साइड डेवलपमेन्ट एवं ग्रीन बेल्ट विकसित करने के कार्य का प्रस्तुतीकरण किया गया। और बैठक में निम्नवत् निर्णय लिये गये।

- ❖ कुकरैल नदी के पुनरोद्धार के सम्बन्ध में किये गये प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार इस क्षेत्र का विकास कराया जाये।
- ❖ इस कार्य के लिए नगर विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा तथा प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग नोडल अधिकारी रहेंगे।

- ❖ सभी सम्बन्धित संस्थाओं एवं विभागों से उनकी अनापत्तियां व सहमतियां प्राप्त कर ली जाये तथा सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
- ❖ कुकरैल रिवर Revitalization एण्ड वाटर फण्ट डेवेलपमेण्ट प्रोजेक्ट को लेकर सिंचाई विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर विकास, जल निगम, नगर निगम, वन पर्यावरण आदि विभाग के अधिकारियों द्वारा अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये।
- ❖ कुकरैल नदी के उद्वगम स्थल से लेकर गोमती नदी में मिलने तक के नदी के कैचमेन्ट एरिया का सम्बन्धित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर विस्तृत Inspection किया जाये।
- ❖ जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर कुकरैल नदी के कैचमेन्ट एरिया में विकसित अबादी एवं स्लम का विस्तृत सर्वे कराया जाए एवं उनमें निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान रखा जाए।
- ❖ कुकरैल नदी के कैचमेन्ट एरिया में डोर-टू-डोर सर्वे कर निवासियों को पूर्व में आवंटित आवासों (यदि आवंटन किया गया है) की स्थिति इंगित की जाये।
- ❖ उक्त क्षेत्र में चल रही Unauthorized activities एवं आवच्छित तत्वों को चिन्हित कर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ❖ कुकरैल नदी के कैचमेन्ट एरिया की सिंचाई विभाग व अन्य विभाग की जमीन पर हुए अवैध कब्जे के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों एवं अधिकारियों को चिन्हित किया जाए एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ❖ कुकरैल नदी के कैचमेन्ट एरिया में निवास करने वाले लोगों के पुर्नवास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय) के In-Situ Slum Redevelopment परियोजना के अन्तर्गत एक समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- ❖ सिंचाई विभाग द्वारा कुकरैल नदी के कैचमेन्ट एरिया में तत्काल Desludging/Desilting की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ❖ नगर निगम लखनऊ द्वारा कुकरैल क्षेत्र में सघन सफाई अभियान चलाते हुए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- ❖ कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं पुर्नजीवित करने हेतु किये जाने वाले कार्यों की मासिक समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए, जिसमें लोक निर्माण विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी सम्मिलित हों।
- ❖ उक्त कार्यों की सप्ताहिक समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति गठित की जाए।

इस क्रम में नगरीय क्षेत्र में कुकरैल नदी के पुर्नजीवित एवं पुनरोद्धार हेतु नदी के दोनों तटबन्धों के बीच स्थित स्लम एरिया भीकमपुर, अकबरनगर-1, अकबरनगर-2 एवं रहीमनगर में निवास करने वाले लोगों को पात्रतानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय) के अन्तर्गत पुर्नवासित करते हुए अवैध निर्माण का अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया और स्लम एरिया के मलबे को हटाकर सफाई कराकर वृक्षारोपण कराते हुए नदी तट का विकास किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में कुकरैल नदी को प्रदूषणमुक्त करने एवं पुर्नजीवित करने तथा उक्त क्षेत्र में विकास कार्य हेतु दिनांक 05.01.2024 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को कुकरैल नदी की डिसिल्टिंग/डिस्लजिंग कार्य कराने हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में "कुकरैल नदी के किमी०

0.000 से किमी० 4.470 तक डिसिल्टिंग का कार्य (लागत रू० 660.00 लाख)" एक परियोजना दिनांक 20.03.2024 को सम्पन्न मुख्य अभियन्ता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी समिति द्वारा कुकरैल नदी के किमी० 0.000 से किमी० 28.000 तक पुनरोद्धार के कार्य की परियोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये तत्कम में परियोजना "कुकरैल नदी के किमी० 0.000 से किमी० 28.000 तक पुनरोद्धार के कार्य की परियोजना" लागत रू० 3239.86 लाख दिनांक 16.04.2024 को सम्पन्न 203 वीं तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित हुई। इस परियोजना में नदी के बेड की चौड़ाई किमी० 0.000 से 6.000 किमी० तक 30.00 मी० तत्पश्चात किमी० 8.500 तक 28.00 मी० तत्पश्चात किमी० 11.00 तक 24.00 मी०, तत्पश्चात किमी० 19.00 तक 16 मी०, तत्पश्चात किमी० 24.00 तक 13.00 मी० तत्पश्चात किमी० 28.00 तक 6.00 मी० तथा बेड स्लोप किमी० 0.000 से 8.500 तक 20 से०मी०/किमी०, किमी० 8.500 से किमी० 28.00 तक 30 से०मी०/किमी० प्रस्तावित किया गया। इसके अतिरिक्त नदी के बेड का तलान्तर समायोजित करने के लिए वनक्षेत्र में चार स्थान पर बोल्टर द्वारा स्लोप एवं बेड प्रोटेक्शन कार्य तथा बैराज के अप-स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में बोल्टर द्वारा स्लोप प्रोटेक्शन कार्य प्रस्तावित किया गया।

यह परियोजना "कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं पुर्नजीवित करने तथा उक्त क्षेत्र में विकास कार्य करने एवं कुकरैल नदी के डिसिल्टिंग के कार्य हेतु दिनांक 11.03.2024 को जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में "जिला गंगा समिति" की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या 8080/29-1(जिला गंगा समिति) दिनांक 22.03.2024" द्वारा स्वीकृत की गई।

यह परियोजना "कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं पुर्नजीवित करने तथा उक्त क्षेत्र में विकास कार्य करने एवं कुकरैल नदी के डिसिल्टिंग के कार्य हेतु दिनांक 27.05.2024 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में "राज्य गंगा समिति" की सम्पन्न 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त संख्या 502/76-2-2024-ई-1717531, संख्यांक दिनांक 02.07.2024" द्वारा स्वीकृत की गई।

कुकरैल नदी को पुर्नजीवित करने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा प्रो० जुल्फेकार अहमद, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, आई०आई०टी० रुडकी को कुकरैल नदी की हाइड्रोलिक स्टडी करने एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु कन्सल्टेंट नियुक्त किया गया। प्रो० जुल्फेकार अहमद ने हाइड्रोलिक स्टडी रिपोर्ट में कुकरैल नदी की हेड पर किमी० 0.000 से किमी० 0.900 तक डिजाइन डिस्चार्ज 240.96 क्यूमेक बेड की चौड़ाई 40.00 मी०, किमी० 0.900 से किमी० 3.600 तक डिजाइन डिस्चार्ज 214.40 क्यूमेक बेड की चौड़ाई 35.00 मी०, किमी० 3.600 से किमी० 8.350 तक डिजाइन डिस्चार्ज 180.55 क्यूमेक बेड की चौड़ाई 30.00 मी०, किमी० 8.350 से किमी० 14.500 तक वन क्षेत्र होने से कोई परिवर्तन नहीं, किमी० 14.500 से किमी० 15.625 तक डिजाइन डिस्चार्ज 55.600 क्यूमेक बेड की चौड़ाई 25.00 मी०, किमी० 15.625 से किमी० 22.250 तक वन क्षेत्र होने से कोई परिवर्तन नहीं, किमी० 22.250 से किमी० 25.350 तक डिजाइन डिस्चार्ज 20.700 क्यूमेक बेड की चौड़ाई 08.00 मी०, किमी० 25.350 से किमी० 28.000 तक डिजाइन डिस्चार्ज 11.700 क्यूमेक बेड की चौड़ाई 05.00 मी० प्रस्तावित की गई।

प्रो० जुल्फेकार अहमद, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, आई०आई०टी० रुडकी की हाइड्रोलिक स्टडी का अध्ययन करने एवं सम्मयक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डिजाइन डिस्चार्ज (तदनु रूप नदी की चौड़ाई) अति सुरक्षित एवं अत्यधिक है। क्योंकि भू-गर्भ जल स्तर अत्यन्त नीचे हो जाने से नदी की रिचार्जिंग नहीं हो पा रही है जिससे सामान्य दिनों में (वर्षाकाल के अतिरिक्त) नदी में पानी का बहाव अति अल्प है इसलिए स्टडी के अनुसार नदी की चौड़ाई अधिक रखने पर सिल्टिंग की सम्भावना प्रबल होगी तथा डिसिल्टिंग कराने की लागत भी अधिक आयेगी। इसलिए नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित नदी की चौड़ाई ही उपयुक्त

है। इस हाइड्रोलिक स्टडी में वन क्षेत्र में नदी की चौड़ाई के विषय में कोई टिप्पणी नहीं की गई है तथा वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया गया है जिसमें नदी की चौड़ाई इस प्रकार प्रस्तावित की गयी है जिससे कि वृक्षों का कटान न करना पड़े। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, वन विभाग के इस प्रस्ताव से सहमत है क्योंकि तकनीकी रूप से यदि नदी में प्रवाहित जल की मात्रा अधिक होगी तो पानी जंगल में फैलकर स्वतः निस्तारित हो जायेगा और नदी अपना आवश्यक स्वरूप प्राप्त कर लेगी। वन क्षेत्र के लिए वन विभाग द्वारा रू0 1775.46 लाख का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है, इस परियोजना में एक चेक डैम का प्रावधान किया गया है। चेक डैम और बैराज के अप-स्ट्रीम में वर्षाकाल में उपलब्ध जल से पॉन्डिंग की जा सकती है, जो भू-गर्भ जल स्तर सुधार के साथ जंगली जीव जन्तुओं के जीवन के लिए उपयोगी होगा तथा तलान्तर को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं पुर्नजीवित करने तथा उक्त क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए शहरी क्षेत्र में राजस्व विभाग एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भीकमपुर, अकबरनगर-1, अकबरनगर-2 एवं रहीमनगर में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया तथा नदी के उदगम स्थल के ऊपरी कैचमेंट एरिया में स्थित झीलों का पुनरोद्धार करते हुए वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्तानुसार कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त करने एवं पुर्नजीवित करने तथा उक्त क्षेत्र में विकास कार्य हेतु कुकरैल नदी के पुनरोद्धार की परियोजना को कुकरैल नदी के किमी0 0.000 से किमी0 28.000 तक डी0पी0आर0 तैयार की गयी है। इस डी0पी0आर0 में मुख्यतः तीन भाग क्रमशः 1. शहरी क्षेत्र किमी0 0.000 से किमी0 4.700 तक लागत रू0 574.50 लाख, किमी0 4.700 से 6.300 तक लागत रू0 243.13 लाख, किमी0 15.000 से 16.500 तक लागत रू0 138.83 लाख सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गयी है एवं अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। 2. वन क्षेत्र किमी0 6.300 से 15.000 तक, किमी0 16.500 से 23.900 तक की लागत रू0 1775.46 लाख, वन विभाग द्वारा तैयार की गयी है एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी तथा उपग्रामीण वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। 3. ग्रामीण क्षेत्र किमी0 23.900 से 28.000 तक लागत रू0 119.14 लाख ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी है एवं सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) तथा उपायुक्त (श्रमरोजगार) द्वारा हस्ताक्षरित है तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक भूमि की लागत रू0 376.51 लाख है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी क्षेत्र में स्लम एरिया के अतिक्रमण हटाने की लागत रू0 95.96 लाख पत्रांक-630/अ0अ0(वि0/याँ0)/2024, दिनांक 08.08.2024 (संलग्न) है।

अतः उपरोक्तानुसार ग्रामीण विकास विभाग एवं वन विभाग की परियोजना सम्मिलित करते हुए "Restoration of Kukrail River Km. 0.000 to Km. 28.000" लागत रू0 3323.53 लाख की परियोजना सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संकलित की गयी है। उक्त परियोजना का कार्य शहरी बाढ़ (अर्बन फ्लडिंग) से सम्बन्धित है, तथा आपदा न्यूनीकरण के अन्तर्गत राज्य आपदा राहत आयुक्त कार्यालय से इस परियोजना का वित्त पोषण किया जा सकता है।

अतः उक्त परियोजना सक्षम स्तर से स्वीकृति हेतु सादर प्रेषित है।

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Project Name:- Restoration of Kukrail River from Km. 0.000 TO Km. 28.000

General Abstract of Cost			
S.N.	Items of Work		Amount In Lac.
	L-Earth Works, Jungle Clearance, Boulder work, Check Dam, V.R.B., others works		
1	URBAN AREA		
	Chainage.(0.00-4.700)	Rs.	574.50
	Chainage. (4.700-6.300)	Rs.	243.13
	Chainage. (15.000-16.500)	Rs.	138.83
	Total(1)	Rs.	956.46
2	FOREST AREA		
	Chainage.(6.300-15.000) with Stone boulder work and Mini Check Dam	Rs.	1399.15
	Chainage.(16.500-20.500)	Rs.	305.72
	Chainage.(20.500-23.900)	Rs.	70.59
	Total(2)	Rs.	1775.46
3	RURAL AREA		
	Chainage.(23.900-28.000) with V.R.B.	Rs.	119.14
	Total(3)	Rs.	119.14
4	Cost of Land in Rural Area	Total(4)	Rs. 376.51
5	Cost of Encroachment Removal in Urban Area	Total(5)	Rs. 95.96
	G. Total (1+2+3+4+5)	Rs.	3323.53
	Cost of Project in Lac.	Rs.	3323.53

Cost of Project in Word: thirty three crore twenty three lakh fifty three thousand rupees only




URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

22

Project Name:- Desilting Work of Kukrail River from Km. 0.000 To Km. 4.700

Abstract of Cost			
S.N.	Items of Work		Amount In Lacs
1	L-Earth Works		
a	Earthwork for Clearance of Kukrail River by Hydraulic Excavator (Poclair) of Capacity 60 Cum per hour ie. 2400/60	Rs.	470.16
b	Cleaning thick Jungle and thorny bushes without aprofing	Rs.	12.61
2	COST OF WORK	Rs.	482.77
3	A-Preliminary 1% COST OF WORK (2)	Rs.	4.83
4	M-Plantation 0.5% COST OF WORK (2)	Rs.	2.41
5	Contingency 1% COST OF WORK (2)	Rs.	4.83
6	Total (2+3+4+5)	Rs.	494.84
7	Add GST 12% COST of WORK(2)	Rs.	57.93
8	CENTAGE 4.50% COST of WORK(2)	Rs.	21.72
	G. Total (6+7+8)	Rs.	574.50
	Cost in Lacs. Rs.	Rs.	574.50



13/8/24
 श्री विशाल सिंह
 जूनियर इंजीनियर
 नगर विकास विभाग
 लखनऊ

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT


Project Name:- Desilting Work of Kukrail River from Km. 4.700 TO Km. 6.300

Abstract of Cost			
S.N.	Items of Work		Amount In Lacs
1	L-Earth Works		
a	Earthwork for Clearance of Kukrail River by Hydraulic Excavator (Poclaim) of Capacity 60 Cum per hour ie. 2400/60	Rs.	200.02
b	Cleaning thick Jungle and thorny bushes without aprofoting	Rs.	4.29
2	COST OF WORK	Rs.	204.31
3	A-Preliminary 1% COST OF WORK (2)	Rs.	2.04
4	M-Plantation 0.5% COST OF WORK (2)	Rs.	1.02
5	Contingency 1% COST OF WORK (2)	Rs.	2.04
6	Total (2+3+4+5)	Rs.	209.42
7	Add GST 12% COST OF WORK (2)	Rs.	24.52
8	CENTAGE 4.50% COST OF WORK (2)	Rs.	9.19
	G. Total (6+7+8)	Rs.	243.13
	Cost t in Lacs. Rs.	Rs.	243.13

13/08/24
 NITIN CHAUDHARY
 JUNIOR ENGINEER

13/8/24
 VISHAL SINGH
 Junior Engineer

13/8/24
 श्री कृष्ण सिंह
 ज्येष्ठ अभियंता
 (पुनर् संस्थापक)
 नगर विकास विभाग
 नगरपालिका, काठमाडौं



URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Project Name:- Desilting Work of Kukrail River from Km. 15.000 to Km. 16.500

Abstract of Cost			
S.N.	Items of Work		Amount In Lacs
1	L-Earth Works		
a	Earthwork for Clearance of Kukrail River by Hydraulic Excavator (Poclain) of Capacity 60 Cum per hour ie. 2400/60	Rs.	112.64
b	Cleaning thick Jungle and thorny bushes without aprofing	Rs.	4.02
2		COST OF WORK	Rs. 116.66
3	A-Preliminary 1% COST WORK (2)	Rs.	1.17
4	M-Plantation 0.5% COST WORK (2)	Rs.	0.58
5	Contingency 1% COST WORK (2)	Rs.	1.17
6		Total (2+3+4+5)	Rs. 119.58
7		Add GST 12% COST WORK (2)	Rs. 14.00
8		CENTAGE 4.50% COST WORK (2)	Rs. 5.25
		G. Total (6+7+8)	Rs. 138.83
		Cost of Project in Lacs. Rs.	Rs. 138.83

NO 13/08/24
NITIN CHAUDHARY
JUNIOR ENGINEER

13/8/24
VISHAL SINGH
Junior Engineer

13/8/24
विशाल सिंह
जूनियर इंजीनियर
(विशाल चण्डावर)





UP FOREST DEPARTMENT

Project Name:- Desilting Work of Kukrail River
from 6.300 KM TO 15.00KM

23

Abstract of Cost			
S.N.	Items of Work		Amount In Rs.
1	Earth Works		
	Earthwork for Clearance of Kukrail River by Hydraulic Excavtor (Poclaim) of Capacity 60 Cum per hour ie. 2400/60	Rs.	75586450.00
2	Cleaning thick jungle and thorny bushes without uprooting	Rs.	2333340.00
3	Slope Protection Stone Boulder Work	Rs.	20186142.65
4	Cost of Mini Check Dam(L.S.) at km. 14.50	Rs.	5000000.00
5	Total (1+2+3+4)	Rs.	103105932.65
6	PROJECT FORMATION & SITE SURVEY COST 1% OF TOTAL (5)	Rs.	1031059.33
7	ADMINISTRATIVE COST 1% COST OF WORK (5)	Rs.	1031059.33
8	K-BUILDING COST 1% COST OF WORK(5)	Rs.	1031059.33
7	Plantation 10% of TOTAL (5)	Rs.	10310593.27
8	Contingency 2% of TOTAL (5)	Rs.	2062118.65
9	Total (5+6+7+8)	Rs.	118571822.55
10	Add GST 18% of Total	Rs.	21342928.06
11	G. Total	Rs.	139914750.61
12	Cost in Lacs. Rs.	Rs.	1399.15



क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुकरैल
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ



UP FOREST DEPARTMENT

Project Name:- Desilting Work of Kukrail River
from 16.50 KM TO 20.50KM

Abstract of Cost			
S.N.	Items of Work		Amount In Rs.
1	Earth Works		
	Earthwork for Clearance of Kukrail River by Hydraulic Excavator (Poclaim) of Capacity 60 Cum per hour ie. 2400/60	Rs.	21456215.50
2	Cleaning thick jungle and thorny bushes without uprooting	Rs.	1072800.00
3	Total(1+2)	Rs.	22529015.50
4	PROJECT FORMATION & SITE SURVEY COST 1% OF TOTAL (3)	Rs.	225290.16
5	ADMINISTRATIVE COST 1% COST OF WORK (5)	Rs.	225290.16
6	K-BUILDING COST 1% COST OF WORK(5)	Rs.	225290.16
7	Plantation 10% of TOTAL (3)	Rs.	2252901.55
8	Contingency 2% of TOTAL (3)	Rs.	450580.31
9	Total(3+4+5+6)	Rs.	25908367.83
10	Add GST 18% of Total(7)	Rs.	4663506.21
11	G. Total	Rs.	30571874.03
12	Cost in Lacs. Rs.	Rs.	305.72

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुकरैल
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ





UP FOREST DEPARTMENT

Project Name:- Desilting Work of Kukrail River
from 20.50 KM TO 23.90KM

Abstract of Cost			
S.N.	Items of Work		Amount In Rs.
1	Earth Works		
	Earthwork for Clearance of Kukrail River by Hydraulic Excavator (Poclaim) of Capacity 60 Cum per hour ie. 2400/60	Rs.	4290183.30
2	Cleaning thick jungle and thorny bushes without uprooting	Rs.	911880.00
3	Total(1+2)	Rs.	5202063.30
4	PROJECT FORMATION & SITE SURVEY COST 1% OF TOTAL (3)	Rs.	52020.63
5	ADMINISTRATIVE COST 1% COST OF WORK (3)	Rs.	52020.63
6	K-BUILDING COST 1% COST OF WORK(3)	Rs.	52020.63
7	Plantation 10% of TOTAL (3)	Rs.	520206.33
8	Contingency 2% of TOTAL (3)	Rs.	104041.27
	Total (3+4+5+6)	Rs.	5982372.80
	Add GST 18% of Total(7)	Rs.	1076827.10
	G. Total	Rs.	7059199.90
	Cost in Lacs. Rs.	Rs.	70.59



क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुकरैल
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

RURAL AREA PROJECT

Project Name:- Desilting Work of Kukrail River from Km. 23.900 TO Km. 28.000

Abstract of Cost			
S.N.	Items of Work		Amount In Lacs
1	L-Earth Works		
	Earthwork for Clearance of Kukrail River by Hydraulic Excavator (Poclain) of Capacity 60 Cum per hour ie. 2400/60	Rs.	45.31
2	V.R.B. (L.S. COST)	Rs.	50.00
3	COST OF WORK	Rs.	95.31
4	A-Preliminary 1% COST OF WORK (3)	Rs.	0.95
5	M-Plantation 0.5% COST OF WORK (3)	Rs.	0.48
6	Contingency 1% COST OF WORK (3)	Rs.	0.95
7	Total (4+5+6+7)	Rs.	97.69
8	Add GST18% COST OF WORK (3)	Rs.	17.16
9	CENTAGE 4.5% COST OF WORK (3)	Rs.	4.29
10	G. Total (8+9+10)	Rs.	119.14
	Cost in Lacs. Rs.	Rs.	119.14


A.E. (M.T.)
LKO.

समययुक्त (अम रोजमार)
लखनऊ



लखनऊ नगरीय क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण/वर्षा जल संचयन/ग्राउण्ड वाटर बॉडीज के संरक्षण सम्बन्धी विवरण :-

क्र० सं०	अभिकरण का नाम	जल संरक्षण/जल संचयन हेतु कृत कार्यवाही/परास का विवरण									
		सरकारी भवन/कार्यालय		गैर सरकारी भवन/कार्यालय		पार्क/युप हाउसिंग योजनाएँ		विवरण		क्षेत्रफल (वर्गमी)	
		विवरण	रूप क्षेत्रफल (वर्गमी)	विवरण	रूप क्षेत्रफल (वर्गमी)	विवरण	क्षेत्रफल (वर्गमी)	विवरण	क्षेत्रफल (वर्गमी)		
	लखनऊ विकास प्राधिकरण	भवनो में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु कृत कार्यवाही									
		पोस्टर, साहान एन वाटर बॉडीज को संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही									
		आयोजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने हेतु किये गये आयोजन (गोपनी/मेरीनार या अन्य आयोजन)									
		आयोजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने हेतु किये गये आयोजन (गोपनी/मेरीनार या अन्य आयोजन)									
		पारम्परिक जल स्रोतों/वालाकों/जम्हो/वाटर वॉरीज से जल प्राप्त करने की व्यवस्था									
1	1	प्राधिकरण भवन, गोमती नगर कार्यालय	3063.00					गोपनी का आयोजन किया जा रहा है।			
2	2	लालबाग कार्यालय	3800.00								
3	3	उपाध्यक्ष आवास	410.00								
4						जनेश्वर मिश्र पार्क	139.5				
5						डॉ राम मनोहर लोहिया पार्क	58.5				
6						डॉ राम मनोहर लोहिया पार्क, रेन वाटर हार्वेस्टिंग	4000				
7						पारिजात अपार्टमेंट, गोमती नगर	3800.00				
8						पंचशील अपार्टमेंट, गोमती नगर	4817.71				
9						सनराइज अपार्टमेंट	3500.00				
						भरणी अपार्टमेंट	1330.00				
						मेघा अपार्टमेंट	1360.00				
						अरलेया अपार्टमेंट	3400.00				
						दीपशिखा अपार्टमेंट	3400.00				
						श्रवण अपार्टमेंट	3400.00				
						फाल्गुनी अपार्टमेंट	730.00				
						पूर्वा अपार्टमेंट	730.00				
						रतनलोक अपार्टमेंट	3100.00				
						रश्मिलोक अपार्टमेंट	2800.00				
						आदा अपार्टमेंट	1200.00				
								शारदा नगर स्थित एल्डिको उद्यान झील	45000.00		
21						देवपुर पारा आवासीय योजना (सेक्टर-सी)	6640.00				
22						सोपान इवलेच, फेज-1	2200.00				
23						सोपान इवलेच, फेज-2	700.00				
24						सृजन अपार्टमेंट	1500.00				



25					सरगम अपार्टमेंट	5868.8								
26					सुधि अपार्टमेंट	4151.26								
27					स्मृति अपार्टमेंट	2977.38								
28					जनेश्वर इन्डोव	4168.62								
29					ऐशनाम हाइट्स	3650.00								
30									काला पहाड़ डील	34601.41				
31									गोतीडील / जमु ना डील	61757.75				
32														
33					फेयर फील्ड होटल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	1100.00								
34					होटल हयात, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	1200.00								
35					डी0एल0एफ0-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	850.00								
36					डी0एल0एफ0-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	850.00								
37					एल्टिडको कॉरपेट, चैम्बर-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	1354.00								
38					एल्टिडको कॉरपेट, चैम्बर-2 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	676.27								
39					एल्टिडको कॉरपेट टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	775.42								
40									एल्टिडको एलीगेन्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	4557.00				
41									एल्टिडको एलीगेन्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	383.00				
42									साइबर हाईट, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	2500.00				
43					ओमेक्स हाईट, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	1150.00								
44					साइबर टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	1000.00								
45					डी0पी0एस0 स्कूल, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	1850.00								
46									रिवेरा रेजीडेन्सी-1, सेक्टर-6, निकट-शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	1100.00				
									रिवेरा रेजीडेन्सी-2, सेक्टर-6, निकट-शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	1600.00				



48		सेन्ट फ्रांसिस स्कूल, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	4000.00																	
49		मेलियश हारिपटल, भवन संख्या-4ए/428, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	250.00																	
50		पार्क डायग्नोस्टिक सेन्टर, भवन संख्या-4ए/427, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	250.00																	
51		सिटी माण्टेसरी स्कूल, भवन संख्या-1/07, वरदान खण्ड, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	3500.00																	
52		गृथी गेस्ट हाउस, खसरा संख्या-330, मौजा-अहिमामऊ, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ	450.00																	
53		सिटी इण्टरनेशनल स्कूल (जूनियर) भवन संख्या-4/18, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	200.00																	
54		एच0सी0एल0, सेक्टर-7, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ	18000.00																	
55						पार्थ इन्फ्राविल्ड, सेक्टर-7, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ	1120.00													
56						ओमेक्स अपार्टमेन्ट, जी0एच0-4, (आर-2), सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	9388.00													
57		श्रीमती सुपमा गुप्ता, 2/332, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	150.00																	
58		मेयो मेडिकल सेन्टर, विकास खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ	930.00																	
59		श्री आदित्य झुनझुनवाला, भूखण्ड संख्या-सी0पी0-5, विराज खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ	350.00																	
		श्री अरुण प्रकाश, भवन संख्या-1/59, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	230.00																	
		श्री सुनील कुमार, भवन संख्या-1/52, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	110.00																	
		डॉ0 अभिषेक यादव, भवन संख्या-1/56, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	110.00																	



80			डॉ० अश्वनी सिंह, वी-61 निराला नगर	340.00															
81			शास्त्रीमार कोर्ट गार्ड स-366 त्रिवेणी नगर	1610.00															
82			मे० एस०के०जी० विल्डर्स, सी पी-63 व 64 से-ई, सीतापुर रोड	562.00															
83			श्री भूपेहा वसल व श्रीभी मजू वसल, ए-8/सी, से-सी अलीगंज लखनऊ	266.00															
84			श्री राजेन्द्र प्रसाद जोहरी, वी-68 से-एच, अलीगंज, लखनऊ	1358.00															
85			श्री राजीव गोयल, सी-135 निरालानगर लखनऊ	132.00															
86			मे० के एस एम वी ग्राम घैला, अलीनगर लखनऊ	377.00															
87			श्री संदीप अग्रवाल सी-185, निरालानगर, लखनऊ	314.00															
88			श्री अहमद शाहीद, 474/7 सीतापुर रोड, लखनऊ	3500.00															
89			डॉ० मनोज कुमार सिंह म.न 643/092ए फेजुल्लागंज, सीतापुर, लखनऊ	250.00															
90			श्री एस.के.टी टण्डन वी-1/5 से-एफ अलीगंज	235.00															
91			श्री मनोज कुमार वचानी, भ.सं. 2/18, से-ई अलीगंज	218.00															
92			किंग जार्ज चिकित्सालय, खदरा, लखनऊ	1093.00															
93			डॉ० नीरज बोरा, भ.सं. 01039, कमलाबद बढौली, लखनऊ	386.00															
94										श्री नदीम व अन्य, रोलेक्स अपार्टमेंट	2200.00								
95										श्री अमित अग्रवाल, क्रिस्टल व्यू अपार्टमेंट	2900.00								
96			श्री नरेश अग्रवाल व अन्य क्राउन माल	2800.00															
97		740.00	फातिमा हास्पिटल एवं नर्सिंग हास्टल, महानगर																
98		5000.00	सी डी.आर.आई. सेक्टर-11, 7 जानकीपुरम																
99		3000.00	अब्दुल कलाम टेक्निकल, यूनिवर्सिटी, जानकीपुरम																
100										श्री नयनतारा, वी-28, सेक्टर-ए, महानगर	670.00								
101										डैलही पब्लिक स्कूल, जानकीपुरम विस्तार	1500.00								



102	18	आकाशा परिसर, जानकीपुरम	1000.00																
103	19	आकाशा परिसर, से-जी जानकीपुरम	1500.00																
104	20	आकाशा परिसर, से-एफ जानकीपुरम	500.00																
105	21	आयकर भवन, 57 रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ	2186.00																
106								प्लॉट नं०-42ए व 42बी, वजीर हसन रोड, लखनऊ	1055.00										
107								एल्टिको वरोसा अपार्टमेन्ट	1672.00										
108								तीर्थ ववशी अपार्टमेन्ट	2137.00										
109						लॉमार्ट ब्याज स्कूल	40468.00	आरिफ किंग अपार्टमेन्ट, 6/3 गॉल एवेन्यू	5781.00										
110						लेरेटो कान्वेन्ट स्कूल	5073.00												
111								धेनुमति अपार्टमेन्ट	658.00										
112	22	हिन्दी सस्थान	743.00					डी.सी. कान्वा, भू-20, माल एवेन्यू, लखनऊ	5000.00										
113	23	स्वास्थ्य भवन	1144.00					जौमल अब्बास, भूखड संख्या 58 लखनऊ	4800.00										
114	24	सी0एस0आई0आर	600.00					महाराज रेजीडेन्सी, भू संख्या 16/93, पुराना किला, लखनऊ	3200.00										
115	25	परिवहन विभाग	1800.00																
116	26	के.जी.एम.सी., लखनऊ	5600.00																
117	27	बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ	1972.00																
118	28	सिचाई विभाग, कॅण्ट रोड लखनऊ	500.00																
119	29	50 बेड यूनानी हॉस्पिटल	270.00																
120						श्रीमती नेहा सिंह, हुसैनवाडी	300.00												
121						पेट्रोल पम्प दुबग्गा श्री सुधीर बोरा	50.00												
122						श्री मुरिलम ग्रीन वीव अपार्टमेन्ट, दुबग्गा	370.00												
123						जी.ओ. रिलाइंस का एम.सी.एन. ऑफिस, दुबग्गा	400.00												
124						श्री जावेद विल्डर, वसंतकुंज	350.00												
	30	नादान महल, पार्किंग	90.00																
		कुल योग (वर्गमी.)	144680.00				114652.69		133555.27						141359.16				

सरकारी भवन/कार्यालय 144680.00
 गैर सरकारी भवन/कार्यालय 114652.69
 ग्रुप हाउसिंग योजनाएँ 133555.27
 पोखर, तालाब एवं वाटर बाडीज 141359.16
 कुल योग (वर्गमी.) 534247.12

